POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 17.12.2025

1. थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा वादी को शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर पूरे देश में लगभग 35 करोड रूपए से ज्यादा की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले चाइनीज साइबर ठगों से जुड़े 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **17.12.2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी को शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर 12,00,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले चाइनीज साइबर ठगों से जुड़ा 01 अभियुक्त सुधाकर गर्ग पुत्र ईश्वर सिंह गर्ग को रोहतक हरियाणा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 03/12/2025 को मु0अ0सं0-0137/2025 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट में पंजीकृत किया गया था, जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादी को शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर 12,00,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की गयी। विवेचना मे त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त संदिग्ध बैंक खातो को तत्काल फ्रीज़ कराया गया।

नोट- दिनांक 05.12.2025 को 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 02 सह अभियुक्त को मुंबई पुलिस तथा 02 सहअभियुक्त को हैदराबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त/खाताधारक सुधाकर गर्ग द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति राशिद खान उर्फ लकी से हुई थी। राशिद खान उर्फ लकी द्वारा उसे जीएसटी फर्म एवं करंट बैंक खाते खुलवाने के लिए बताया गया, जिसके उपरांत खाताधारक को मुंबई बुलाया गया। राशिद खान उर्फ लकी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर खुलवाए गए विभिन्न बैंक खातों में साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि ट्रांसफर कराता था। धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंक खातों में आई धनराशि के एवज में अभियुक्तों द्वारा 07 से 10 प्रतिशत राशि नकद प्राप्त की जाती थी, जबकि खाताधारक को 01 से 03 प्रतिशत के अनुपात में USDT दिया जाता था। इसके बाद अभियुक्त उक्त USDT को BINANCE एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचकर, प्राप्त धनराशि को यूपीआई के माध्यम से अपने अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर लेते थे। अभियुक्त राशिद खान उर्फ लकी एवं उसके अन्य 02 साथियों को इसी प्रकार के अपराधों में पूर्व में मुंबई पुलिस एवं हैदराबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त लगभग एक वर्ष से साइबर

अपराधों में संलिप्त है तथा उसके कुल 05 बैंक खातों का उपयोग अपराध में किया गया है। एनसीआरपी पोर्टल पर अब तक इन बैंक खातों के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों से कुल 37 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं, जिनमें— आंध्र प्रदेश (03), दिल्ली (03), हरियाणा (02), जम्मू-कश्मीर (02), कर्नाटक (08), महाराष्ट्र (07), तमिलनाडु (07), उत्तर प्रदेश (03) एवं पश्चिम बंगाल (02) शामिल हैं। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- सुधाकर गर्ग पुत्र ईश्वर सिंह गर्ग निवासी हरि सिंह कॉलोनी, थाना शिवाजी कॉलोनी, रोहतक(हरियाणा) वर्तमान पता सेक्टर-14 रोहतक, थाना अर्बन स्टेट, रोहतक (हरियाणा) उम्र 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0- 0137/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस बढ़ोत्तरी धारा 338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 0322/2017 धारा 406/420/506 भादवि, थाना रोहतक सिविल लाइन, रोहतक (हरियाणा)।
3- मु0अ0सं0- 0275/2023 धारा (33),(58) आबकारी एक्ट दिल्ली 2009, थाना भलसवा डेरी, आउटर नॉर्थ दिल्ली।
4- मु0अ0सं0- 0339/2023 धारा 318(4) बीएनएस & 66D आईटी एक्ट, सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु सिटी।

नोट : साइबर जागरूकता संबंधी महत्त्वपूर्ण सुझाव बिंदु-

1. किसी भी निवेश (Investment) से संबंधित ई-मेल, लिंक या संदेश को बिना जांच-पड़ताल किए न खोलें।
2. निवेश से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद या जानकारी के लिए सेबी (SEBI) की आधिकारिक वेबसाइट पर ही सत्यापन करें।
3. किसी भी अज्ञात Telegram या WhatsApp ग्रुप में शामिल न हों और ऐसे ग्रुपों में दिखाए जा रहे अधिक मुनाफे के झांसे पर विश्वास न करें।
4. यदि किसी Telegram/WhatsApp ग्रुप में कोई सदस्य निवेश के बाद भारी मुनाफा होने का दावा करता है, तो उस पर भरोसा न करें। शेयर ट्रेडिंग/IPO में निवेश केवल बैंक अथवा विश्वसनीय डीमैट सेवा प्रदाता के माध्यम से ही करें।
5. शेयर ट्रेडिंग या IPO में निवेश के लिए कभी भी सीधे किसी व्यक्ति या अज्ञात बैंक खाते में धनराशि जमा न करें। किसी ग्रुप में जुड़ने के बाद यदि कोई व्यक्ति लिंक भेजकर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे, तो उस ऐप को डाउनलोड न करें।

साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तुरंत अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाना को सूचित करें एवं भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन नं0- 1930 पर कॉल करें साथ ही भारत सरकार के NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) https://www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा नकदी व लैपटॉप लूट की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ₹95,000 नकद, 01 लैपटॉप, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **17.12.2025** को **थाना सेक्टर-113 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहायता से थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत सर्फाबाद में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त 1. जाहिद अली उर्फ पपला पुत्र निजामुद्दीन अली 2. तरुण पुत्र दीपक 3. पुष्पेंद्र उर्फ भोला पुत्र चंद्रपाल को ग्राम सर्फाबाद सेक्टर-73 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से ₹95,000 नकद, 01 लैपटॉप, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल व अभियुक्त तरुण के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, अभियुक्त जाहिद अली उर्फ पपला व पुष्पेंद्र उर्फ भोला के कब्जे से 01-01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण एक साथ दोपहिया वाहन पर घूमकर दिन और रात में ऐसे लोगों की पहचान करते थे जिनके पास नकद रुपये होते थे। रात के समय वे ऐसे लोगों को रोककर उनके साथ मारपीट करते और उनके रुपये लूटकर फरार हो जाते थे। अगर वारदात के दौरान कोई व्यक्ति या आसपास के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते, तो डराने के लिए वे अपने पास तमंचा और चाकू रखते थे। लूटे गए रुपये आपस में बांट लेते थे। पकड़े न जाने के लिए घटना के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। अभियुक्तगण लूट के पैसों को खाने-पीने व पहले लिए गए उधार के पैसे चुकाने में खर्च कर देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- जाहिद अली उर्फ पपला पुत्र निजामुद्दीन अली, निवासी ग्राम सैनी सुनपुरा, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर; उम्र करीब 19 वर्ष, शिक्षा—9वीं पास।
2- तरुण पुत्र दीपक निवासी ग्राम भगवानपुर, थाना मुण्डाली, मेरठ; उम्र करीब 20 वर्ष, शिक्षा—अनपढ़।
3- पुष्पेंद्र उर्फ भोला पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम हाजीपुर, थाना स्याना, बुलन्दशहर; उम्र करीब 18 वर्ष, शिक्षा—8वीं पास।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0सं0- 513/2025 धारा 309(4)/324(4)/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- ₹95,000 नकद, 01 लैपटॉप
2- 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 अवैध चाकू
3- घटना में प्रयुक्त चोरी 01 मोटरसाइकिल संबंधित मु0अ0सं0-100/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना बालैनी, बागपत।

3. थाना फेस–1 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/मोबाइल फोन की चोरी/ स्नेचिंग कर उनकी व उनके पार्ट्स की अन्तर्राज्यीय तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 02 करोड़ रुपये का चोरी का सामान जिसमें चोरी के मोबाइल फोन, आईपैड, टेब, मोबाइल फोन के पार्ट्स, टीवी डिवाइस एवं एक स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **17.12.2025** को **फेस-1 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/मोबाइल फोन की चोरी/ स्नेचिंग कर उनकी व उनके पार्ट्स की अन्तर्राज्यीय तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त 1. फिरोज पुत्र जलाउद्दीन 2. फरदीन पुत्र शबाबुद्दीन 3. सलीम पुत्र जमील अहमद 4. दानिश पुत्र यासीन को सेक्टर-14 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/ स्नेचिंग के 60 iPhone, 10 मल्टीमीडिया फोन, 28 iPad, 01 टैबलेट, 265 मोबाइल फोन के पार्ट्स, 01 टीवी डिवाइस (एप्पल), 01 स्कूटी बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 02 करोड़ रुपये है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के आस-पास घूम-घूमकर ऐसे स्थानों को चिह्नित करते थे, जहाँ लोगों की भीड़ अधिक रहती है। ऐसे स्थानों पर वे मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चोरी व स्नेचिंग करते थे। इसके अलावा जहाँ जनसभाएँ होती थीं, वहाँ अभियुक्त भीड़ में आम समर्थक बनकर शामिल हो जाते थे। हिंदू जनसभाओं में शक से बचने के लिए वे अपने मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम रख लेते थे, जिससे किसी को उन पर संदेह नहीं होता था। भीड़ का फायदा उठाकर वे महंगे और ट्रेंड में चल रहे आईफोन व स्मार्ट मोबाइल फोन आसानी से चोरी कर लेते थे, जिनकी बाजार में काफी मांग रहती है। चोरी किए गए मोबाइल फोन और उनके पार्ट्स को मांग के अनुसार बेचकर वे अच्छा पैसा कमा लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1- फिरोज पुत्र जलाउद्दीन निवासी गली नं. 7, गौतमपुरी, थाना सीलमपुर, दिल्ली; उम्र 27 वर्ष।
2- फरदीन पुत्र शबाबुद्दीन निवासी गली नं. 7, गौतमबिहार, थाना उस्मानपुर, दिल्ली; उम्र 41 वर्ष।
3- सलीम पुत्र जमील अहमद निवासी बाजार चितली कवर, थाना जामा मस्जिद, दिल्ली; उम्र 38 वर्ष।
4- दानिश पुत्र यासीन निवासी गली नं. 4, कबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली; उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त फिरोज--**

1. मु0अ0सं0 202/2019, धारा 12/9/55 जुआं अधि0, थाना गांधी नगर, दिल्ली
2. मु0अ0सं0 009069/2020, धारा 379/411/34 भादवि, थाना करोल बाग, दिल्ली
3. ई-000072/2021, धारा 379/411 IPC, थाना फर्स बाजार, दिल्ली
4. मु0अ0सं0 13247/2020, धारा 379/411/34 भादवि, थाना पटेल नगर, दिल्ली
5. मु0अ0सं0 534/2025, धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 279/2025, धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
7. ई-एफआईआर- 80004598/24, धारा 379 भादवि, थाना कल्याणपुरी, दिल्ली

- **अभियुक्त फरदीन--**

1. मु0अ0सं0 55/2018, धारा 379 भादवि, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 534/2025, धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना फेस 1, गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 279/2025, धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
4. ई-एफआईआर 80004598/24, धारा 379 भादवि, थाना कल्याणपुरी, दिल्ली

- **अभियुक्त सलीम--**

1. मु0अ0सं0 41/2011, धारा 379/34 भादवि, थाना ई-पुलिस, दिल्ली
2. मु0अ0सं0 73/14, धारा 379/411 भादवि, थाना ई-पुलिस, दिल्ली
3. मु0अ0सं0 534/2025, धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना फेस 1, गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 279/2025, धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
5. ई-एफआईआर 80004598/24, धारा 379 भादवि, थाना कल्याणपुरी, दिल्ली

- **अभियुक्त दानिश--**

1. मु0अ0सं0 80026324/2025, धारा 303(2) बीएनएस, 103 डी0पी0 एक्ट, थाना N.D.L.S (रेल्वे), दिल्ली
2. मु0अ0सं0 534/2025, धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना फेस 1, गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 279/2025, धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
4. ई-एफआईआर 80004598/24, धारा 379 भादवि, थाना कल्याणपुरी, दिल्ली

बरामदगी का विवरण--

1- 60 iPhone,
2- 10 मल्टीमीडिया फोन
3- 28 iPad, 01 टैबलेट, 01 टीवी डिवाइस (एप्पल),
4- 265 मोबाइल फोन के पार्ट्स
5- 01 स्कूटी